

धारा 168 : अनुदेशों या निदेशों को जारी करने की शक्ति

- (1) बोर्ड, यदि वह इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो केन्द्रीय कर अधिकारियों को ऐसा आदेश, अनुदेश या निदेश, जिसे वह उचित, समझे, जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का पालन और अनुपालन करेंगे।
- (2) धारा 2 के खंड (91), धारा 5 की उपधारा (3), धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (ख), धारा 35 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 37 की उपधारा (1), ¹[.....] धारा 39 की उपधारा (6), ²³[धारा 44], धारा 52 की उपधारा (4) और धारा 52 की उपधारा (5) की उपधारा (6), ⁴[धारा 143 की उपधारा (1), उसके दूसरे परंतुक के सिवाय], ⁵[.....], धारा 158 की उपधारा (3) के खंड (ठ) और धारा 167 में विनिर्दिष्ट आयुक्त से बोर्ड में तैनात कोई आयुक्त या संयुक्त सचिव अभिप्रेत है और ऐसा आयुक्त या संयुक्त सचिव बोर्ड के अनुमोदन से उक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा।

-
- 1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "धारा 38 की उपधारा (2)," विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।
- 2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।
- 3 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा "धारा 44 की उपधारा (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।
- 4 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा "धारा 66 की उपधारा (5), धारा 143 की उपधारा (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 49/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया।
- 5 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा "धारा 151 की उपधारा (1)" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।